झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (शिकायत)—बोकारो / PDS —18 / 2022— 736

प्रेषक,

संजय कुमार,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 18.09.2023

विषयः— **बोकारो जिला अन्तर्गत जरीडीह प्रखण्ड में किरासन तेल के उठाव एवं वितरण में अनियमितता से संबंधित परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिवादी श्री संजय सिंह, सदस्य जिला कार्य समिति, भाजपा—सह—पूर्व अध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, जैना मोड़, बोकारो का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवाद पत्र में श्री सिंह द्वारा जरीडीह प्रखण्ड में राज किशोर नामक बिचौलिया (पूर्व हॉकर) द्वारा जिला आपूर्ति शाखा, प्रखण्ड आपूर्ति शाखा तथा किरासन तेल थोक विक्रेता एवं जन वितरण प्रणाली डीलरों के मिली भगत से विगत कई वर्षो से किरासन तेल के उठाव एवं वितरण में प्रक्रियागत भ्रष्टाचार एवं अनियमितता का आरोप लगाया गया है। परिवादी का यह भी आरोप है कि उनके द्वारा वर्ष, 2021 से लगातार उपायुक्त, बोकारो को जांचोपरान्त विधिसम्मत कार्रवाई हेतु आग्रह किया गया किन्तु इस पर समुचित कार्रवाई नहीं हुई।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

18/9/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx474

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

संजय सिंह
सदस्य जिला कार्यसमिति
भारतीय जनता पार्टी-सह
पूर्व अध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम
क्रियान्वयन समिति
जरीडीह प्रखण्ड (जैनामोड़)

BJP

आवासीय पता:-
जैनामोड़, बोकारो
झारखण्ड-829301
Mob:- 9431508857, 8271510555
E-Mail Id- sanjaybjpjainamore@gmail.com

पत्रांक S:S:/39/23 M.S. 08/09/23 दिनांक 30-08-2023

सेवा में,
अध्यक्ष महोदय,
राज्य खाध आयोग-राँची।

विषयः- बोकारो जिला अन्तार्गत जरीडीह प्रखण्ड मे कई वर्षो से किरोसिन तेल उठाव मे विभागीय मिलीभगत से प्रक्रियागत भ्रष्टाचार व अनियमितता का जनहित मे निष्पक्ष जाँच करने के सम्बंध में।

109
8.9.23

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध मे आपका ध्यानाकृष्ट करवाते हुए कहना है कि राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाध सुरक्षा योजना से आक्षछादित सभी परिवारो को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रति परिवार 01 लिटर किरोसिन तेल उपलब्ध करवाया जाना है। परन्तु बोकारो जिला अन्तर्गत जरीडीह प्रखण्ड मे राजकिशोर नामक बिचौलिया (पूर्व हॉकर) द्वारा जिला आपूर्ति शाखा, प्रखण्ड आपूर्ति शाखा (B.S.O) तथा किरोसिन तेल थोक विक्रेता एवं जनवितरण प्राणाली (P.D.S) डीलर उन सभी के मिलीभगत से बीते कई वर्षो से किरोसिन तेल उठाव व वितरण मे बड़े पैमाने पर प्रक्रियागत भ्रष्टाचार व अनियमितता किया जा रहा है। राजकिशोर द्वारा किरोसिन तेल थोक विक्रता संचालक बीते वर्ष 2021 से लगातार मेरे द्वारा बोकारो उपायुक्त को पत्राचार कर जाँचो उपरांत विधि सम्मत कारवाई करने का आग्रह किया, पर इसे उपायुक्त तथा जिला का अपर समाहर्ता (D.G.R.O) गंभीरता से जाँच करवाना आवश्यक नही समझा गया। (पत्र अनुलग्न) तत्यप्रश्चात मेरे द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत् मेरे आवेदन के आलोक मे जाँच व की गई कार्यवाई की जानकारी जानना चाहा तक मुझे जिला आपूर्ति शाखा द्वारा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के माध्यम से भ्रामक असंतोषजनक गुमराह करने वाला उत्तर दिया गया जो जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 का आवमानना है। (पत्र अनुलग्नक) E-Mail द्वारा प्रेषित।

अतः श्रीमान से आग्रह है कि इस विषय को गंभीरता से अपने संज्ञान मे लेकर राज किशोर नामक बिचौलिया द्वारा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार फर्जी हस्ताक्षर से सभी विभागीय पदाधिकारीयों के मिलीभगत से खाध सुरक्षा अधिनियम-2013 का जनहित मे मेरी उपस्थिति मे एक समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जाँच करवाने की कृपा किया जाय एवं दोषियों को चिहिन्त कर मुकदमा दर्ज करने की कृपा किया जाय।

राजकिशोर द्वारा किरोसिन तेल थोक विक्रेता एवं विभाग के संरक्षण मे फर्जीवाड़ा कर तेल उठाव कर बिना लाभुक व जनता को वितरण किये वैगेर कालाबजारी मे बेचकर तय राशि का बंदरवांट कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व अनियमितता किया गया।

भवदीय
Sanjay 30/08/23
(संजय सिंह)

संजय सिंह
सदस्य जिला कार्यसमिति
भारतीय जनता पार्टी–सह
पूर्व अध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम
क्रियान्वयन समिति
जरीडीह प्रखण्ड (जैनामोड़)

BJP

आवासीय पता:-
जैनामोड़, बोकारो
झारखण्ड–829301
Mob:- 9431508857, 8271510555
E-Mail Id- sanjaybjpjainamore@gmail.com

846
01/09/23

पत्रांक S.S./39/23

दिनांक 30-08-2023

सेवा में,
अध्यक्ष महोदय,
राज्य खाद्य आयोग–राँची।

विषयः– बोकारो जिला अन्तार्गत जरीडीह प्रखण्ड मे कई वर्षो से किरोसिन तेल उठाव मे विभागीय मिलीभगत से प्रक्रियागत भ्रष्टाचार व अनियमितता का जनहित मे निष्पक्ष जाँच करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध मे आपका ध्यानाकृष्ट करवाते हुए कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आक्छादित सभी परिवारो को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रति परिवार 01 लिटर किरोसिन तेल उपलब्ध करवाया जाना है। परन्तु बोकारो जिला अन्तर्गत जरीडीह प्रखण्ड मे राजकिशोर नामक बिचौलिया (पूर्व हॉकर) द्वारा जिला आपूर्ति शाखा, प्रखण्ड आपूर्ति शाखा (B.S.O) तथा किरोसिन तेल थोक विक्रेता एवं जनवितरण प्राणाली (P.D.S) डीलर उन सभी के मिलीभगत से बीते कई वर्षो से किरोसिन तेल उठाव व वितरण मे बड़े पैमाने पर प्रक्रियागत भ्रष्टाचार व अनियमितता किया जा रहा है। राजकिशोर द्वारा किरोसिन तेल थोक विक्रता संचालक बीते वर्ष 2021 से लगातार मेरे द्वारा बोकारो उपायुक्त को पत्राचार कर जाँचो उपरांत विधि सम्मत कारवाई करने का आग्रह किया, पर इसे उपायुक्त तथा जिला का अपर समाहर्ता (D.G.R.O) गंभीरता से जाँच करवाना आवश्यक नही समझा गया। (पत्र अनुलग्न) तत्यप्रश्चात मेरे द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् मेरे आवेदन के आलोक मे जाँच व की गई कार्यवाई की जानकारी जानना चाहा तक मुझे जिला आपूर्ति शाखा द्वारा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के माध्यम से भ्रामक असंतोषजनक गुमराह करने वाला उत्तर दिया गया जो जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 का आवमानना है। (पत्र अनुलग्नक)

अतः श्रीमान से आग्रह है कि इस विषय को गंभीरता से अपने संज्ञान मे लेकर राज किशोर नामक बिचौलिया द्वारा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार फर्जी हस्ताक्षर से सभी विभागीय पदाधिकारीयों के मिलीभगत से खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का जनहित मे मेरी उपस्थिति मे एक समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जाँच करवाने की कृपा किया जाय एवं दोषियों को चिहिन्त कर मुकदमा दर्ज करने की कृपा किया जाय।

राजकिशोर द्वारा किरोसिन तेल थोक विक्रेता एवं विभाग के संरक्षण मे फर्जीवाड़ा कर तेल उठाव कर बिना लाभुक व जनता को वितरण किये वैगेर कालाबजारी मे बेचकर तय राशि का बंदरवांट कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व अनियमितता किया गया।

भवदीय
Sanjay 30/08/23
(संजय सिंह)

(111)

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-
प्रथम अपीलीय पदाधिकारी महोदय - बोकारो

विषय:- उपायुक्त बोकारो का कार्यालय: जिला जनसूचना शाखा-सह- नोडल पदाधिकारी- बोकारो द्वारा माँगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में;

महोदय,

मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दिनांक 08/05/2023 को डाक रजिस्ट्री द्वारा उपायुक्त बोकारो का कार्यालय के जनसूचना पदा० से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था। परन्तु निर्धारित समय (30) दिन बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाया गया।

अत: श्रीमान् से आग्रह है मुझे जिला जनसूचना पदा० सह- नोडल पदाधिकारी उपायुक्त - बोकारो के कार्यालय से ससमय निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा किया जाय।

संलग्नक :- यथोक्त

(1) माँगी गई सूचना का आवेदन पत्र,
(ii) दस रु० का पोस्टल आर्डर का छायाप्रति .
(iii) मेरा पत्रांक - S.S./05/2021 दिनांक - 17.02.2021 एवं S.S./10/22 दिनांक - 02/03/2022 की पत्र की छायाप्रति संलग्नक .

आपका विश्वासी
Sanjay
(संजय सिंह)
At+Po- जैनामोड़
D- बोकारो
, 829301
9431508857
दिनांक:-16.06.2023

22.6.23

(110)

सेवा में, 16/08/2023

उप विकास आयुक्त - सह - प्रथम अपीलीय पदाधिकारी
बोकारो

विषय :- जिला आपूर्ति शाखा (उपायुक्त - सह - जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय - बोकारो द्वारा बारम्बार असंतोषजनक जानकारी उपलब्ध करवाकर R.T.I. Act - 2005 का उल्लंघन के संबंध में,

प्रसंग :- प्रथम अपील वाद सं० - 017/2023 से सम्बन्धित,

महोदया,

उपर्युक्त विषयक व प्रसंगाधीन के संबंध में कहना है कि उपायुक्त - सह - जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय (आपूर्ति शाखा) का ज्ञापांक :- 1697/आ० दिनांक :- 10/08/2023 का पत्र - द्वारा रजिस्ट्री - 11/08/23 को किया गया, वो पत्र मुझे दिनांक - 14/08/23 को प्राप्त हुआ।

आपूर्ति शाखा कार्यालय के ज्ञापांक - 1393 दिनांक - 20/06/2023 के आलोक में झूठा एवं भ्रमित करने वाला असंतोषजनक जवाब उपलब्ध करवाया गया था, जिसकी आपत्ति मेरे (आवेदनकर्ता) द्वारा पूर्व में ही दिनांक - 18/07/2023 को आपकी के कार्यालय में दे चुका हूँ। लेकिन पुनः मुझे पत्र भेजकर आपूर्ति शाखा द्वारा भ्रमित किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से आग्रह है कि आपूर्ति शाखा द्वारा मुझे आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है, जो प्रत्येक तिथि में प्रथम अपीलीय पदाधि० के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवाकर वापस लौट जाया करता हूँ।

[initials] 22.8.23

संलग्नक कागजात :-
आपूर्ति शाखा का ज्ञापांक :- 1697/आ० दि० - 10/08/23

आपका विश्वासी
[signature]
[illegible] (बोकारो)
9431508857

(10)

सेवा में,
जनसूचना पदाधिकारी
उपायुक्त महोदय - बोकारो का कार्यालय

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में,

महोदय,
मैंने आपके कार्यालय मे पत्रांक - S.S./05/21 दिनांक - 17/02/2 एवं S.S./10/22 दिनांक - 02/03/2022 को आपूर्ति विभाग - बोकारो, "किरासन तेल मे बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता भ्रष्टाचार" की निष्पक्ष जाँच व कार्रवाई से अवगत करवाने के लिये आवेदन दिया था। (आवेदन की दोनो छायाप्रति संलग्न है)। लेकिन आज तक मेरे आवेदन पर संतोषजनक कदम नही उठाया गया।

कृपया इसके संदर्भ में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

(1)- मेरे दोनो आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्यवाही अर्थात् दैनिक प्रगति रिपोर्ट की आवश्यकता है, उसे उपलब्ध करवाने की कृपा की जाय। तथा मेरा आवेदन किन-किन अधिकारियो के पास गया तथा किस अधिकारी के पास कितने दिनो तक रहा और इस दौरान उन अधिकारियो ने मेरे दिये गये आवेदन पर किस प्रकार की कार्यवाही की पूरा विवरण की आवश्यकता है, इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाय।

(2)- विभाग के नियम के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनो मे कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए, मेरे आवेदन के मामले उपरोक्त समय-सीमा का पालन हो पाया यदि हाँ तो इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाय।

(3)- कृप्या उन अधिकारियो का नाम तथा पद बतलाया जाय, जिन्होने मेरे आवेदन पर कार्यवाही करनी थी, लेकिन उन्होने कार्यवाही नही की, इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाय।

यदि माँगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नही है तो सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-06(03) का संज्ञान लेते हुवे मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पाँच दिनो की समयावधि के अन्तर्गत हस्तांतरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानो के तहत सूचना उपलब्ध करवाते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।

मै आवेदन फीस के रूप मे (10) दस रु० का पोस्टल आर्डर सं०- 59F.006480, संलग्न कर दे रहा हूँ।

आपका विश्वासी
Sanjay
(संजय सिंह)
M. P. - झँमाड़ - 82930
बोकारो

08/05/2023

SANJAY SINGH
EX-CHAIRMAN
Twenty Point Program
Jaridih Block

Jainamore, 829301
Bokaro (Jharkhand)
Mob-9431508857, 8271510555
E-mail-sanjaybjpjainamore@gmail.com

Ref NO. :-S.S.|10|22 रिमान्डर-02 Date:-02|03|2022

सेवा में,

उपायुक्त -सह-जिला दण्डाधिकारी महोदय
बोकारो।

विषय :- जरीडीह प्रखण्ड अन्तर्गत सरकारी किरासन तेल में बड़े पैमाने पर "राज किशोर" नामक बिचौलिया के माध्यम से वित्तीय अनियमितता का जनहित में निष्पक्ष जाँच कर विधि सम्मत कारवाई करने के संबंध में।

प्रसंग - पत्रांक S.S./05/21 दिनांक 17.02.2021 (पत्र अनुलग्नक)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन के विषय में आपका ध्यानाकृष्ट करवाते हुए कहना है कि जरीडीह प्रखण्ड अन्तर्गत जनवितरण प्रणाली की दुकानों मे बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री अनुदान राहत कोष से अनाज वितरण में निधारित मात्रा से कम देना एवं कुछ डीलर सरकारी किरासन तेल मे हेरा-फेरी करने के उद्देश्य से दलाल "राजकिशोर" नामक ये सभी अलग-अलग ग्रुप बनाकर प्रखंड के अधिकांश जनवितरण प्रणाली के डीलरों से गुलत मंशा से साठ-गाठ करके सरकारी किरासन तेल, बोकारो तथा पेटरवार डीपू प्रबंधक से मिलीभगत करके वहीं कालाबजारी व अनियमितता कर बेच दिया जाता है।

विश्वस्त सुत्रो से पता चला है कि जिससे प्राप्त अवैध राशी कमीशन के तौर पर जिला आपूर्ति विभाग से लेकर प्रखंड आपूर्ति एवं कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि के बीच तय कमीशन प्रति महीना का बंटरबांट किया जाता है। इस प्रकार से लाखों रू0 का किरासन तेल का कालाबजारी बोकारो जिला स्तर पर हो रहा है।

जनवितरण प्रणाली के डीलरो एवं Door to Door Step Delivery मे बरती जा रही अनियमितता की ओर श्रीमान् का ध्यान पूर्व मे भी पत्र देकर आकृष्ट करवा चूँका हूँ, परन्तु की गई जाँच से मुझे अब-तक अवगत नही करवाया गया एवं संवेदक द्वारा F.C.I गोदाम से ही कालाबजारी एवं अनियमितता किया जा रहा हैं। डीलरो के द्वारा लाभुक उपभोक्ताओं को ना ही किरासन तेल, नमक, चीनी बगैरह दिया जाता है, जबकि उपभोक्ताओं के मोबाईल पर उक्त सामग्री दिये जाने का मैसेज भेज दिया जाता है।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक अपने संज्ञान में लेकर जनहित मे जनवितरण प्रणाली के डीलरो की मनमानी तथा सरकारी किरासन तेल डीपू से उठाव के समय ही हेरा-फेरी अनियमितता कर लाखों रू0 का घपला करने का निष्पक्ष जाँच कमिटि गठित कर लाभुकों के स्तर पर किरासन तेल वितरण का भौतिक निरीक्षण करवाया जाए एवं जाँचोपरांत दोषियों पर विधि सम्मत करने की कृपा किया जाए। एवं की गई कारवाई से मुझे अवगत करवाने की कृपा करेंगें।

संलग्न :- यथोक्त

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार

भवदीय
Sanjay 02/03/22
(संजय सिंह)

SANJAY SINGH
EX-CHAIRMAN
Twenty Point Program
Jaridih Block

Jainamore, 829301
Bokaro (Jharkhand)
Mob-9431508857, 8271510555
E-mail:-sanjaybjpjainamore@gmail.com

Ref No. :- S.S./05/21

Date:- 17/02/2021

सेवा में,

उपायुक्त महोदय
बोकारो

विषयः– किरासन तेल वितरण में दलाल द्वारा अनियमितता का जनहित में जाँचकर कारवाई किये जाने के संबंध में,

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है कि जरीडीह प्रखण्ड स्थित सभी जन वितरण केन्द्रों में मासिक किसरान तेल का आवंटन प्राप्त होता है, जिसे कार्डधारियों के बीच वितरण करने का प्रावधान है, परन्तु इन दिनों पूरे जरीडीह प्रखण्ड स्थित सभी जनवितरण केन्द्रों में प्राप्त किरासन तेल का दलाल श्री राजकिशोर द्वारा कालाबाजारी कर कार्डधारियों एवं जन वितरण दुकानदारो, हाकरों को चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है। ज्ञात हो कि श्री राजकिशोर नाम का दलाल के पिताजी के नाम पर पूर्व में किरासन तेल के हॉकर का लाइसेंस था, जिसके कारण उसका किरासन तेल के डीलर से अच्छी पैठ थी। वर्त्तमान में उक्त दलाल द्वारा साठ–गाठ कर उपर–उपर ही किरासन तेल का उठाव कर उसे कालाबाजारी कर हजारो, लाखो रूपया अर्जित कर रहा है और तो और वह अपने पास ही किरासन तेल का भंडार पंजी भी रख लिया है, फलस्वरूप 80% दुकानदारों को पता भी नहीं चलता कि कितना आवंटन प्राप्त हुआ तथा कब प्राप्त हुआ। हाकरों को बिना हस्ताक्षर किया हुआ कैश मेमो भी दिया जाता है, जो जाँच का विषय है। दलाल के द्वारा लाइसेन्स नवीनीकरण के नाम पर भी मोटी रकम की उगाही करता है, तथा विभिन्न प्रकार का शोषण भी किया जाता रहा है।

अतः आग्रह पूर्वक कहना है कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेते हुवे जरीडीह प्रखण्ड में व्याप्त दलाली प्रथा को समाप्त कर दोषी दलाल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कृपा करेगें ताकि प्रखण्ड के लाभूकों को तथा जन वितरण दुकानदारों को उसके शोषण से मुक्ति मिल सकें। इसके लिए मैं आपका आभारी बना रहूँगा।

प्रतिलिपि:
1. अनुमण्डल पदाधिकारी-बेरमो (मु०) तेनुघाट को सादर सूचनार्थ आवश्यक कारवाई हेतु।

भवदीय
Sanjay 17/02/21
(संजय सिंह)
पूर्व अध्यक्ष